कैबिनेट फैसले : टाउनशिप के लिए गांवों में भूमि का अधिग्रहण होगा

उत्तराखंड में कृषि भूमि पर बन सकेंगे रिजॉर्ट

देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड में अब कृषि भूमि पर भी रिजॉर्ट बनाए जा सकेंगे। इसके लिए लैंड यूज बदलने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कैबिनेट में हुए आवास, ऊर्जा और नियोजन विभाग के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों की मंजूरी दी। इनमें दो अध्यादेश भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक कृषि भूमि पर सिर्फ इको रिजॉर्ट ही बनाए जा सकते थे। अब रिजॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे। रिजॉर्ट के लिए सड़क की चौड़ाई भी घटा दी गई है। मैदान में 12 मीटर से घटाकर नौ मीटर और पहाड़ों पर नौ मीटर से घटा कर छह मीटर कर दी गई है।

टाउनशिप-लैंड पुलिंग योजना मंजूर: कैबिनेट ने नियोजित शहरीकरण के लिए टाउनशिप और लैंड पुलिंग योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत छोटे-छोटे भूखंडों को मिलाकर बड़ी टाउनशिप विकसित होंगी। अहमदाबाद, सूरत, अमरावती मॉडल पर उत्तराखंड में नई टाउनशिप विकसित करने को जनता के सहयोग से जमीन जुटाई जाएगी। गांवों में लोगों से कृषि भूमि लेकर उन्हें शहरों में आवासीय और कॉमर्शियल भूमि दी जाएगी।

09 मीटर सड़क पर मैदानी क्षेत्रों में और छह मीटर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बन सकेंगे रिजॉर्ट

19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई कैबिनेट की बैठक में दो अध्यादेशों समेत

देहरादून स्थित सचिवालय मीडिया सेंटर में बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी। ● हिन्दुस्तान

बिजली लाइन को भूअधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाया

कैबिनेट ने पिटकुल की पावर ट्रांसमिशन लाइन, टावर को लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा दिया है। टावर निर्माण के लिए सर्किल रेट का 85% के बजाय 200% मुआवजा मिलेगा। ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली जमीन पर मुआवजा सर्किल रेट के 15% के स्थान पर तीन श्रेणियों में अलग-अलग मिलेगा। गांव में 30%, पेरी अर्बन में 40% और शहरों में 60% मिलेगा। जिन स्थानों पर सर्किल रेट और मार्केट रेट में बड़ा अंतर है, वहां मुआवजा निर्धारण को डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। इसमें प्रभावित और पिटकुल के सदस्य शामिल रहेंगे।

नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी : कैबिनेट ने नए बिल्डिंग बायलॉज को भी मंजूरी दी है। ग्रीन बिल्डिंग में अब अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की सुविधा मिलेगी। ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पहाड़ों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी मानकों में छूट दी जाएगी। रोड लेवल पार्किंग में भवन निर्माण पर बिल्डिंग की हाईट में छूट दी जाएगी। वहीं, मोटल श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। › संबंधित खबरें P04

अन्य फैसले

- सरकारी स्कूल-कालेज के 10 हजार से ज्यादा मेधावी छात्रों को निशुल्क आनलाइन कोचिंग
- यूएसनगर के कल्याणपुर के लोगों के पट्टे वर्ष 2004 के सर्किल रेट पर होंगे नियमित
- 15 साल से पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर मोटर व्हीक्ल टैक्स में 50 फीसदी तक छूट
- हर जिले में बनेगा अभियोजन निदेशालय, राज्य स्तर पर भी होगा पृथक मुख्यालय
- माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश लागू होगा
- पशुपालकों के लिए चारा सब्सिडी को 75 से घटाकर 60% की गई
- तकनीकी विश्वविद्यालय खुद करेगा भर्तियां, लोक सेवा आयोग की बाध्यता समाप्त

जन विश्वास एक्ट लागू होगा, अध्यादेश मंजूर

उत्तराखंड में जन विश्वास एक्ट लागू होगा। कैबिनेट ने इसके अध्यादेश को मंजूरी दी है। 52 ऐसे कानून चिन्हित किए गए हैं, जिनमें छोटे मामलों में जेल व जुर्माने का प्रावधान है। पहले चरण में सात कानूनों को आपस में मर्ज होंगे। सात कानूनों के मामले में जेल का प्रावधान हटाते हुए जुर्माना पांच गुना बढ़ाया गया है। › P04